विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2008

क्रमांक 5811/1768/21-ब/2008.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पादरी प्रेमलाल विभार, को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापन कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है.

No. 5811/1768/21 B/2008.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872). The State Government are pleased to grant license to the (Minister of Religion) Paster Prem Lal Vibhar, for Raipur District State of Chhattisgarh :—

1. To Solemnize Marriage; and
2. To grant Certificate of Marriages between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक एफ 1-148/राजस्व/राहत/2008.—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 53 सन् 2005) की धारा 25 सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

संशोधन

उक्त नियम में,

नियम 3 के सरल क्रमांक (5) की प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

No. F 1-148/Revenue/Relief/2008.—In exercise of the powers conferred by Section 78 read with section 25 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005), the State Government hereby makes following amendment in the Chhattisgarh State Disaster Management Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

The entries against serial No. (5) of Rules 3 shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2008

क्रमांक एफ 11-9/2003/11/6.—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है, कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है. अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-9/2003/11/6, दिनांक 19-09-2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :—

बिन्दु क्रमांक (4) के तीसरी लाईन में "जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त कर" के स्थान पर "संबंधित मुख्य महाप्रबंधक या महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर" स्थापित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2008

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा 4 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी सारिणी के कालम नं. 2 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारिणी के कालम नं. 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कालम नं. 3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/पद	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री डी. डी. महंत उप पंजीयक.	(1) धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31. 37, 38, 39. (2) महिला स्व-सहायता समूह, महिला मंडल, नवयुवक मंडल श्रेणी के सभी सम्भागों की समितियों का अधिनियम की धारा 34 के अधीन पंजीयन निरस्तीकरण.	छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की संस्था.
2.	श्री अजय चौबे सहायक पंजीयक.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बिलासपुर सम्भाग एवं सरगुजा सम्भाग.
3.	श्री डी. एल. धुर्वे सहायक पंजीयक.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	रायपुर सम्भाग
4.	श्री आर. आर. राजभानू सहायक पंजीयक.	धारा 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	बस्तर सम्भाग

इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का होगा.